



2026:AHC:58482

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9627 वर्ष 2026

शिवा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मोहम्मद बेलाल

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय सं. - 70

माननीय संतोष राय, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक शिवा की ओर से अपराध संख्या 796 वर्ष 2025, बीएनएस की धारा 143(4), थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोप के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त महिला, जिनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, पर सूचनादाता के तीन वर्षीय पुत्र, जिसका नाम मोहब्बत है, का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशेष रूप से नहीं था। यह भी कहा गया है कि एक पुरुष और एक महिला (अज्ञात) ने सूचनादाता के लगभग तीन वर्ष आयु के नाबालिग बच्चे, जिसका नाम मोहब्बत है, का अपहरण किया। यह भी तर्क दिया गया कि नाबालिग बच्चा अभियुक्त-आवेदक और सह-अभियुक्त बर्खा के संयुक्त कब्जे से बरामद किया गया बताया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त, बर्खा, जिनकी आवेदक के समान भूमिका है, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 3759 वर्ष 2026 (बर्खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसके अलावा, अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 30.12.2025 से जेल में है। निवेदन यह है कि विचारण का समापन काफी समय लेगा और उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या जमानत पर रिहा करने पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, समानता के आधार पर जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.)ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि पूर्व विचारण अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी अनुग्रह का अधिकारी नहीं है।

6. इस पर विचार करते हुए कि अभियुक्त-आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति, बर्खा, जिनकी समान भूमिका है, को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अभियोजन गवाहों को डराने और दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 30.12.2025 से जेल में है तथा विचारण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को दृष्टिगत रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश तथा **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 202(एससी) लॉसूट 677 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 53, सर्वोच्च न्यायालय के**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एससीसी 51 के सिद्धांत पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह गवाहों की उपस्थिति में साक्ष्य की निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन और (iii) उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट परिस्थितियों को स्पष्ट करने हेतु अभियुक्त के बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

मार्च 20, 2026

के.एन.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।